10रु. न्यायालय शुल्क Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES — कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE INDIA FIVE RUPEES

(66)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण कंमाक- /2014 निगरानी R/3970/III/2014

1. विश्वदीप वर्मा पुत्र स्वः श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा

2. सरला वर्मा पत्नि स्वः श्री देवेन्द्र वर्मा

दोनो निवासी-61, गुड सेपर्ड, कोलार रोड़, भोपाल म.प्र.

3. सुधीर कुमार वर्मा पुत्र स्वः श्री हीरालाल वर्मा

4. श्रीमती विनोदनी वर्मा पुत्री स्वः श्री हीरालाल वर्मा

निवासी- एम-254, जलवायु बिहार, सेक्टर - 25 गौतम बुद्व नगर, नोयडा उ.प्र.

श्री एस.के. वाजपेयी द्वारा आज दि. 1-12-14 प्रस्तुत
1-12-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

......निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती मीता वर्मा पत्नि स्वः श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा

2. जयदीप वर्मा पुत्र स्वः श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा

दोनो निवासी- ग्राम पडंरा रीवा, तहसील- हुजूर, जिला- रीवा (म.प्र.) हाल निवासीगण- 102/9, बालाजी गार्डन सेक्टर-2, कोपरखेरने, वाशी नवी मुम्बई महाराष्ट्र

....रेस्पोडेन्टस

1-12-2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता विरूद्व आदेश दिनांकित 04.10.2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कंमाक-252/अपील-2013-14, आदेश दिनांक 24.12.2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, तहसील-हुजूर, जिला-रीवा प्रकरण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3970–तीन/2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28 –11–2016	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 252/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 24–12–2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।	
	2/ उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 75/1/ख रकवा 0.228 हे0 मौजा पडरा–335, पटवारी हल्का ढेकहा–26 तहसील हुजूर जिला रीवा के समक्ष खाता विभाजन बावत आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 23–8–12 द्वारा पूर्व में हुये आपसी विभाजन के अनुसार खाता विभाजन करने के आदेश दिये हैं। बटवारे के समय किसी प्रकार की आपत्ति भी विचारण न्यायालय के समय प्रस्तुत नहीं होने पर जोगेन्द्र कुमार के स्थान पर मीतावर्मा एवं जयदीप वर्मा के नाम बटवारा स्वीकृत किया गया है। तहसील न्यायालय के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त न्यायालय में चुनौती दी गई थी जहां से अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त न्यायालयों से आवेदक की अपील निरस्त हुई है और विचारण न्यायालय का आदेश उचित माना है। आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपना हक त्याग संबंधी शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये थे जिससे अब इस	

स्तर पर उसकी निगरानी में कोई आधार प्रकट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 04–10–2014 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस. एस. अली)
सदस्य